

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कूलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे ज
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सविद्या हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कूलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/ 3537

दिनांक: 30/07/11

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : युवा व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालय, आर.टी.ओ. ऑफिस के पास, वायपास रोड, गुना
मनोनीत सदस्य : 1. श्री अशोक शर्मा, सदस्य, कार्यपरिषद्

2. डॉ. आर.एस. पंवार, प्राचार्य, शासकीय एम.एल.बी. कॉलेज, ग्वालियर

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
- प्राचार्य, युवा व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालय, आर.टी.ओ. ऑफिस के पास, वायपास रोड, गुना की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का टी.ए.डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उम्मल पर व्यापक सुनसरित जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए न
कि फिरी अन्य व्यापकारी के नाम से।
उम्मल विश्वविद्यालय के नाम से प्रभावशाली वर्तमान का नाम है।



पता : फॉरेंटिल
दूरभाष : 0091-(0751) 2442601
(फोनिक)
2442462 (फोनर)
फैक्टर : (0091-0751-2341766
E-mail : jureg_gwi@rediffmail.com
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बन्ध/2012/4933

दिनांक : 25/5/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्वर्गत कार्यपालिका की वैश्व दिनांक 22 मार्च 2012 के पद क्रमांक (13) के विषयाकुसार युवा व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालय, गुना को सत्र 2010-11 के लिये प्रकाशित/संबोधित बी.एस.-सी., बी.एस.-सी. (अंति.वि. कम्प्यूटर), बी.ए., बी.ए. (अंति.वि. कम्प्यूटर), बी.कॉम., बी.कॉम. (अंति.वि. कम्प्यूटर), बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.टिक., एम.लिक., बी.डी.बी.सी.ए. प्राक्तन के लिये अस्थाई सम्बन्धता विन्द शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें/प्रतिक्रियां :-

1. यथा मध्यव शीप जिमित किया जाए।
2. 15 वर्ष कम्प्यूटर क्लब लिया जाए।
3. प्राक्तनों में अंतरिक्ष सम्बद्ध नियांकित साक्षोत्तर नीतियां साक्षोत्तर क्लब लिया जाए।
4. प्राक्तन की लियुपित 28(17) के अनुसार की जाए।
5. रु. 30,000/- की title books क्लब की जाए।
6. अन्य दिक्षा परी पर 28(17) के अनुसार लियुपित की जाए।
7. पूर्ण की लियोलाप समिति द्वारा बी.डी.बी.सी.ए. में लक्ष 2009-10 से सीट संख्या 60 लियोलाप की गई बी.डी.बी.सी.ए. लियोलाप के द्वारा इकान उत्तराधिकार करके लक्ष 2010-11 में 90 छात्रों के प्रयोग दिया गया, जिनकी द्वारा लक्ष 2010-11 के लिए लियोलाप समिति को द्वारा लियोलाप से बहले ही लक्ष 2010-11 के प्रयोग संनेहित की परीक्षा में सभी 90 छात्रों की कठाली गई और इसका संनेहित भी समाप्त पर है।

अतः यह लियोलाप समिति अनुसंधान करती है कि जिनकी इस भवितव्यविद्यालय के एक खेत्रक्षेत्री पर जारी करे कि अधिकार में इस प्रकार की लियोलाप होते हाँ तो ये अंतिरिक्ष छात्रों की परीक्षा कठाने के लिए तात्पर नहीं होता और इस लियोलाप के लिए भवितव्यविद्यालय इसका जिम्मेदार होना चाहिए। लक्ष के 90 छात्रों के लियोलाप से बहले ही लक्ष 2010-11 के प्रयोग संनेहित अनुसंधान करती है कि इसको लियोलाप प्राक्तन भावते हुए इस सभी 90 छात्रों की पूर्ण लियोलाप परीक्षा करा दें।

आदेशाकुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राक्तन, युवा व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालय, गुना
2. आगुना, सायाप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सत्यमुख मंत्री, भोपाल।
3. लोकीय अतिरिक्त संघालक, सायाप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, नोटी भवन परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा नोटिकल) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कल क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यविधी हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बन्ध)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उमस्त पर व्यवहार कुलसंचय नीतिकी
विस्तृतिकालव ने जन से तो लिए जाए उ
कि किती अन्व व्यापिकता के जन से।
सम्बित विकास पर यदि पूर्व ने प्र
व्यवहार द्वारा से तो एक कृतिक एवं विनाक
अवश्य लिखा जाए तिलस सांविध है।



पत्र : शुभीकृति
दरावर : (0751) 2341896
(0751) 2442829
क्रमांक : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसंचय,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक.एफ/सम्बद्धता/2009/ ५७८३

दिनांक: ०१/०६/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध युवा व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालय, गुजरात (07542-329636) को सन् 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अख्यायी सम्बद्धता हेतु
अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय त्यायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय
अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. जे.ए. गौतम, आवार्य, पुस्तकालय विभाग अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442603)

(2) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद्, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(3) डॉ. रेणु श्रीवास्तव, प्राचार्य, बोर्टर कॉलेज, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्राक्षणों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर
शुल्क, परोडर शिक्षा, तांत्रिक शैक्षणिक/वैशिक्षणिक स्टॉफ़, प्राप्तिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, छोड़ परिसर एवं
पाठ्यक्रम/आठिलेक्स तथा विषयों सब में दी गई शर्तों की पूर्णता यथा प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशीक्षणिक स्टॉफ़ की
विनुक्तियों का एव्याप्त एवं रेतन आदि को आरे में स्पष्ट विवरण अनुशंसाएँ अंकित करें। नात्यविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने
के 30 दिवस के अन्वर्गत निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों ले सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति उन्नोनक से विरोद्ध है
कि वे उक्त विधिविरुद्ध अवधि में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में निरीक्षणालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा
करने का अत्याधिकार निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण ने की नई दैरी के लिए महाविद्यालय एवं अत्याधिकारी होमा; विद्यकी शूलक
आवृक्त, उच्च शिक्षा, भोगाल को भेज दी जायेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः विस्तृत हो
जायेगी और पुनः निरीक्षण निरीक्षण गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड रुपरुप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण
समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विभा ज्ञानों को प्रवेश देखा अवैधिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यस्त अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्राक्षणी लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की
वस्तुत्विति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को दी.ए. / डी.ए. मानदेव महाविद्यालय द्वारा देव
होगा।

21/06/12
कुलसंचय

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण
दिनांक नियादित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्वर्गत कराने की व्यवस्था करें।
3. आवृक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोगाल
4. कुलाधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के लिये / कुलसंचय के लिजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

Shivaji
उप कुलसंचय (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समक्ष पात्र अलगार सुनिधित अधिकारी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाते जा
कि विद्यार्थी अपने पाठ्यपत्रों के नाम से।
उपलब्धित विषय पर यदि पूर्ण में पात्र
अवधार कुमा हो तो पात्र अवधार उपर दिएंका
अवधार दिया जाते जिससे सुनिधा हो।



पात्र : दूरध्वार्देश
फ़ोन : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (विद्यालय)
फैक्ट्र : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwi@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaukee.edu/

प्रेषक :
कुलसविव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/4983

दिनांक : 1/06/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय आधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 बवम्बद, 2011 के पद क्रमांक (02) के निर्णयाबुसार युवा व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालय, गुना को उत्तर 2010-11 के लिये प्रस्तापित/संचालित एम.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्वाइ सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की शर्तों के पालन की ओर कोई भी छान नहीं दिया जाया है।
2. एक भवन में बी.एड. एम.एड. के अलावा अन्य कई पाठ्यक्रम संचालित हैं।
3. शिक्षण उल्लेख भी 28(17) में विद्युक नहीं किया जाया है।
4. चूंकि सम्बद्धता हेतु जिरीक्षण सत्र समाप्त होने के पश्चात कराया जाया है, अर्थात् महाविद्यालय छात्रों को प्रवेश लेकर परीक्षा तक समर्था प्रक्रिया सम्पन्न कर दुका है। अतः छात्र हित को ध्यान में रखते हुये विज्ञ उत्तर 2010-11 की अस्वाइ सम्बद्धता प्रदान की जा सकती है।
5. परन्तु यदि महाविद्यालय पूर्ण में लगाई गई शर्तों का पालन लियारित अवधि में सुविशेषित नहीं करता है, तो अधिष्ठ जे उसे प्रयोग देने में दोका जाना उपयित होगा।

आदेशाबुसार
3 मार्च 2013
कुलसविव


प्रति,

1. प्राचार्य, युवा व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालय, गुना।
2. विदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, इंदिरा गांधी छोल परिसर, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई बिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. केंद्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-घंवल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसविव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप.-कुलसविव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संकेत पत्र अनुसार कुलसंचित जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाये जा
कि किंतु अब चाहिएकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पट यदि पूर्व में पत्र
चाहलार हुआ हो तो एवं क्रमांक एवं दिनांक
अदर्श लिखा जाये जिससे दर्शिया हो।



ग्राम : गृजीवारी
दूरध्वाण : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्टरी : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसंचित,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक-एफ/सम्बद्धता/2009/ 5134

दिनांक: 25/7/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध युवा व्यावसायिक शिक्षण संस्थान, आर.टी.ओ. ऑफिस के फाल, ए.बी. रोड, गुब्बा को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संवादित डी.एड. एवं ए.न.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी इम्बुल्ट हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. ए.के. शर्मा, आवार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442630)

(2) डॉ. ए.ल.के. सिंह, उपाचार्य, वाणिज्य अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(3) श्रीमती सुनीता तिवारी, व्याख्याता, शासकीय शिक्षा निवाचियालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप नहाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, घरोहर दाखि, वांछित शैशिक/अशैशिक स्ट्रॉक, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुगति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, भीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेस तथा विछ्ले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मध्य प्रमाण यत्र के तथा प्रत्यक्ष/शैशिक एवं अशैशिक स्ट्रॉक की विद्युक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्रावार्य/अध्यक्ष सूचबा पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करार्य। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त विद्यालय समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में द्वारा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठबन्ध का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देई के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। निरीक्षणी सूचना आवृत्ति, उच्च शिक्षा, भोगाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही करता है तो समिति स्वतः निरीक्षण का अनुरूप एवं पुरुष निरीक्षण समिति गठबन्ध हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात ही निरीक्षण समिति का पुरुषगत किया जावेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिन छात्रों को प्राप्तेश देका अवैधाविक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यस्त अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की रस्तुविधियों द्वारा निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मास्टर्स महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसंचित

प्रतीलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रावार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आवाह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण निवाचित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आद्युक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोगाल
4. कुलसंचित, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के लिए / कुलसंचित के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसंचित (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उमस्त पश्च व्यवहार कुलसंचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम ही किया जावे ज
कि विद्यार्थी अन्य वदाविकारी के नाम हो।
सम्बन्धित विषय पर यदि यूर्जे में पञ्च
व्यवहार कुछ हो तो पञ्च क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे याचिका हो।



ग्राम : गूडीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(क्लायरिंग)
2442462 (जिकार)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :
कुलसंचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बन्धता/2011/ ५१६०

दिनांक : ५/०८/१२

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 09 फरवरी 2012 के पद क्रमांक (02) के विषयानुसार युवा व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालय, गुना को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बन्धता विभाग शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तों/प्रतिबंध :-

- परिनियम 27/28 का पूर्ण पालन करें।
- प्राचार्य, शिक्षक तथा गैर शिक्षक स्टाफ की लियुक्ति 28(17) के तहत की जावे।
- बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु अलग भवन की व्यवस्था की जावे।

आदेशानुसार
3m/s
कुलसंचिव

प्रति,

- प्राचार्य, युवा व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालय, गुना।
- सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- शोक्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसंचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप-कुलसंचिव (सम्बन्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

ग्रन्थसंकलन के नाम से ही किया जाए जा कि किसी अन्य प्राप्तिकारी के नाम से।
सम्बोधित विषय पर यदि दूर्घटना हुआ हो तो यह क्रमांक एवं दिनांक अद्यतना लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : शूलीवरीरी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

युनिटारियर,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

उम्मांक: उफ/सम्बद्धता/2009/ 5097

दिनांक: 09.07.12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध तुगा व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालय, गुवा (07542-329636) को सन् 2010-11 एवं सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संवालित बी.पी.एड. पाठ्यक्रम क्रम/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी विश्वविद्यालय अधिकारियम 1973 के परिवेदन 27(10) के अन्तर्गत निन्मानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. संजय कुलश्रेष्ठ, आवार्य, विधि संस्थान, जी.वि.वि., ग्वालियर।
(0751-2442793)

(संयोजक)

(2) डॉ. कौ.एस. गुर्जर, उपावार्य, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
(3) डॉ. एस.डी. सिरामीदिया, उपावार्य, पुरातत्व अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावश्यकों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुरू, घरेहर गशि, गांधित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुमति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेक्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथा प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की वियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुबंधों अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधिवित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जगा करने का उत्तरदायित निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गव्व का प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की गई दर्ती के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना जावेगी और पुनः विरीक्षण समिति गव्व हेतु महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही कराया है तो समिति स्वतः विरस्त हो समिति का पुर्जगढ़ किया जावेगा। परिवेदन 27(1)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवा छात्रों को प्रवेश देजा अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीकारी / कार्यालय सहायक एवं लेकर जायेंगे वथा महाविद्यालय की होगा। वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को ई.ए. / ई.ए. / मानवेदय महाविद्यालय द्वारा देय

3mbo
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबोधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आगह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण विवेदन कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

Sh
उप. कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

मनन, प्रकाशक तुलनात्मक अधिनोदि
निकालिकालन के लिए जैसे ही बोर्ड द्वारा इसे द
कि नियमी अन्वय वर्गिकरण के लिए जैसे

वर्गिकरण नियम द्वारा नहीं दिया दें तब
वर्गिकरण द्वारा दी दृष्टि द्वारा उपर्युक्त नियम
उपर्युक्त विषय का विषय विभाग हो।



फ़ाइल : यूलासीटी
दृष्टिकोण : (0751) 2341898
(0751) 2442823
फ़ैक्ट : (0751) 2341758

प्राप्ति :

यूलासीटी,
जीवाजी विश्वविद्यालय
व्यापार
क्रमांक/एक/सम्बन्धित/2009/ ५-३३४

दिनांक: ०४/१०/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वे अन्वय युवा व्यापारिक विभाग नामितालन, युवा (07542-329636) द्वारा 2011-12 के लिए प्रसारित-नियमित बी.ए., बी.डी.ए., बी.बी.ए., बी.टी.ए. एवं बी.ए-टी. पाठ्यक्रम यथा पाठ्यक्रमों/विषयों दी अन्वयी उपर्युक्त हेतु अनुशंसार् प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय व्यापारी सभिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वे विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेद्यम 27(10) के अन्वयांत नियमानुसार विरीक्षण सभिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. जे.ए.ब. गौतम, कुलाधिसंचिव, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(प्राप्तिकर्ता)

(0751-2442603)

(2) प्रो. डी.ए.ब. गोप्यानी, आचार्य, कर्प्पूटट टाइपर अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(3) डॉ. क.ए.स. बकुर, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

विरीक्षण सभिति के लिए दी अनुमति है कि वे परिवेद्यम 27/28 के प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुशंस नामितालन द्वारा प्राप्त अनुमति/अनुशंसित प्राप्ति पत्र, अवल, छोटा परिवर्त एवं पाठ्यक्रम/आडिकेज तथा विषयों तत्र ने दी गई लिए की पूर्ति गत प्रमाण पत्र, ले तथा प्राप्ताधीक्षणिक एवं अन्वयानुसार दर्शाएं दी जिसमें दी गणना एवं वेतन आदि के लिए दी गई विवरण/अनुशंसाएं अंकित हों। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष युवा पत्र प्राप्त होने के 30 विवर के अन्वय विरीक्षण सभिति संघोजक एवं लिए लिए सभार्पी स्वापित कर विरीक्षण कराएं। सभिति संघोजक से विवेद द्वारा दिया गया कार्यालय द्वारा कराया जाएगा। विरीक्षण प्रतिवेदन बमा करने का उत्तरानुसार विरीक्षण सभिति / संघोजक का होगा।

सभिति अन्वय का प्राप्त होने ने नाम विरीक्षण में दी गई दीर्घी के द्वारा नामितालन द्वारा उत्तरायणी होगा। यदि नामितालन 03 जान में विरीक्षण बढ़ी कहात है तो सभिति स्वतः विरीक्षण हो जाएगी और युवा विरीक्षण सभिति अन्वय देते हेतु नामितालन को वह लालप 25.00/- जला करने होंगे। तत्प्रकार ही विरीक्षण सभिति का पुनर्वापन किया जायेगा। परिवेद्यम 27(11)(7) के अनुसार सम्बन्धित प्राप्त दिया गया छवियों को प्रयोग देकर अवैधानिक है।

विरीक्षण सभिति को तात्प सम्बन्धित लाजा ने कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय अधिकारी प्राप्ताधीक्षण की रक्तसुखिति से विरीक्षण सभिति को अवश्य कहावें। विरीक्षण सभिति के लिए लिए दी गई विवरणों को दीए. / बी.ए. / ग्रामदेव महाविद्यालय द्वारा देंगा।

Zpm
कुलाधिसंचिव

प्राप्तिकर्ता :-

1. सम्बन्धित लिए दी गई दीर्घी के द्वारा नामितालन द्वारा उत्तरायणी होगा।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संघोजक महाविद्यालय दी गई दीर्घी के द्वारा नामितालन द्वारा उत्तरायणी होगा। यदि नामितालन 03 जान में विरीक्षण बढ़ी कहात है तो सभिति स्वतः विरीक्षण हो जाएगी और युवा विरीक्षण सभिति अन्वय देते हेतु नामितालन को वह लालप 25.00/- जला करने होंगे। तत्प्रकार ही विरीक्षण सभिति का पुनर्वापन किया जायेगा। परिवेद्यम 27(11)(7) के अनुसार सम्बन्धित प्राप्त दिया गया छवियों को प्रयोग देकर अवैधानिक है।
3. आयुष्मान उच्च शिक्षा, सत्याग्रह भवन, भोपाल
4. कुलाधिसंचिव दी गई सहायता, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सदा. कुलाधिसंचिव (सम्बन्धित)

जीवाजी विश्वविद्यालय नवालियर

नमस्ते पूर्व अवकाश बुद्धिमत्ता विभाग
देवेश्वराचार्य के नाम से दी जिसका अंतर्गत
मेरी जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम है।
उल्लिखित विषय पर वार्षि. पूर्ण में एक
अवकाश दिनों से ३० वर्ष अवधि तक विभाग
अपने विभिन्न विषयों में विभिन्न



दाता : जीवाजी विश्वविद्यालय
दृष्टान्त : (0181) 2341296
(0751) 2442829
फ़ॉक्स : (0751) 2241768

प्रमुख :
कुलसाहित,
जीवाजी विश्वविद्यालय
नवालियर

फॉमफॉल्फ/हान्डबुक/२००९/ ५३३९

दिनांक: ०४/१०/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, नवालियर ने सम्बद्ध युगा आवासायिक विभाग नवालियर, युगा (07542-322266, ६) के तत्र
तार 2012-13 के लिये प्रत्याहित/संभालित श्री. बी.कौशल, बी.कौशल, दृष्टान्त, फॉली.कौशली.ए. एवं बी.एस. श्री., फॉली.कौशल
कला.पाठ्यक्रम/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुसंदर्भ प्राप्त करते हैं लिये आवासायी कुलपति गोदूजा/स्थायी समिति,
जीवाजी विश्वविद्यालय, नवालियर ने विश्वविद्यालय अधिकारिय 1973 के परिवियर 27(10) के अनुर्धा विज्ञानुसार लिये

समिति का गठन किया है -

(१) श्री. बी.एस. कुलाधिसचिव, जी.वि.वि. नवालियर।

(संगोष्ठी)

(0751-2442603)

(२) श्री. श्री.ए. गोदाराजी, आपार्च, कल्पवृत्त साइंस अध्ययनशाला, नी.वि.वि. नवालियर।

(३) श्री. बी.एस. बाबूजी, प्रवंचन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. नवालियर।

सिरीजम् समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियर 27/28 के प्राप्तिकान के अनुसार नवालियर का प्रव्याप्ति लियेकर उत्तर
मुन्न, परोत्र तथा, गोपित शैक्षणिक रद्दीए, परिषिकृत संस्था से प्राप्त उत्तरिजनामिति प्राप्ति-प्रब्र, अता, श्रीडा परिषिकृत एवं
गोप्यक्रम/आपॉर्टुनिटी तथा प्रियते लघु ने दो जटि जटि की पूर्ति तथा प्रमाण १२.५ तथा प्राप्ति/शैक्षणिक दर्छ तरीकालिका उत्तरांशी
लियूक्सियों का प्रमाण एवं बेतव आदि के गते से साप्त विवेद्य/अनुसंदर्भों अकिता हैं। नवालियर का प्राप्ति/शैक्षणिक सुन्नना पर प्राप्ति १०५
के १० दिवस के अवधि विरीजन समिति संयोजक एवं सदस्यों ने सम्पर्क त्वापित कर विरीजन करायें। समिति अंगीजक है विवेदक है
कि वे उक्त विरीजन समान ने विरीजन करे एवं प्रतिवेदन ०७ दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें, विरीजन प्रतिवेदन जमा
करने का अतिरिक्त विरीजन समिति / समोक्षक का होगा।

समिति जबकि का प्रत्यक्ष है कि वर्ष लियूक्सियों ने दो जटि देखी हो लिये नवालियर तथ्यं उत्तराजी होया। विवेदक सुन्नना
अनुसार, उच्च सिक्षा, शोधाल और सेवा दी जायेगी, विदि नवालियर ०३ लाख में १०००० रुपये वर्षीय करका है तो समिति तथा, विवेदक हो
जायेगी और तुलु विश्वविद्यालय की दाढ रुपये ०३,००००- लाख करके होगी। उत्तराजत तो विरीजन
समिति का प्रुविक्षय लेना जायेगा। परिवियर २७/११/५/७ में अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति विवेदक तथा एवं श्री.ए. नवालियर की
समिति को जीवाजी विश्वविद्यालय की जारी करायें।

विरीजन समिति के आगे उम्मेदगा शास्त्र में लार्कर अधीक्षक / कार्यालय एवं उत्तराजत प्राप्तिकान दोनों जारी करें तथा नवालियर की
उत्तराजति से विरीजन समिति को जारी करायें; विरीजन समिति के उत्तरांशों को श्री. बी.एस. नवालियर एवं
श्री.ए. नवालियर दोनों देवा अपेक्षित हैं।

कुलसाहित

प्रतिलिपि :-

१. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी प्रति अनुशळक कार्यवाही हेतु।
२. प्राप्ति/अध्ययन, संबैधित नवालियर की ओर सेवक आदि ने दो जटियों के संयोजक हो उपर्युक्त तथा प्राप्ति कर विरीजन
३. अनुसार उच्च सिक्षा, शोधाल अवधि, शोधाल
४. कुलपति के लिये विभिन्न विषयों में जीवाजी विश्वविद्यालय, नवालियर

लाभा. कुलसाहित (उम्मेदगा)